

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—57/2022 (2022/130) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अमरचन्द आत्मज कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालु आत्मज कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचन्द आत्मज ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उगमी पुत्री ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नन्दु पत्नि ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण आत्मज ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहन आत्मज कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जगदीश आत्मज बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. धापु पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बाली पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लालु आत्मज रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. श्यामु पुत्री बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सतु आत्मज बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक 14.05.2022

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 41 रकबा 0.07 है0, भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 2 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 05.04.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः



प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का ओदश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.04.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी करने में कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 41 रकबा 0.07 है0, भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 2 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(Signature)
14/5/22
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—57 / 2022 (2022 / 130) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अमरचन्द आत्मज कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालु आत्मज कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचन्द आत्मज ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उगमी पुत्री ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नन्दु पत्नि ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण आत्मज ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहन आत्मज कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जगदीश आत्मज बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. धापु पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बाली पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लालु आत्मज रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. श्यामु पुत्री बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सतु आत्मज बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.05.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 41 रकबा 0.07 है0, भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 2 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा